


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला- ग्वालियर (म.प्र.)



सि.ग - 147 - II-16

72

दिनांक 11-1-2016

को को विनिर्दिष्ट

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

को को को

अंबिका तनय उदयभान राम ब्रा०, उम्र- 64 वर्ष, पेशा- खेती, निवासी ग्राम- बिठौली,  
तहसील- सिहावल, जिला- सीधी (म.प्र.) --- निगरानीकर्ता/उत्तरवादी क्र० 1

बनाम

1. रेवतीरमण तनय वनमाली प्रसाद पाण्डेय उम्र-50 वर्ष,
  2. वैदेहीशरण तनय वनमाली प्रसाद पाण्डेय उम्र-48 वर्ष,
  3. शांति कुमार तनय वनमाली प्रसाद पाण्डेय उम्र-46 वर्ष,
  4. गायत्री उर्फ वावा बेवा पत्नी रमानिवास पाण्डेय,
  5. शिवमंगल तनय रामकरण पटेल उम्र- 58 वर्ष, पेशा- खेती,
  6. शिवनारायण प्रसाद तनय रामकरण पटेल उम्र- 49 वर्ष, पेशा- खेती,
- सभी निवासी ग्राम- बिठौली, तहसील- सिहावल, जिला- सीधी (म.प्र.)

--- अनावेदक/रेस्पाडेण्टगण

राजस्व निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास/  
सिहावल, जिला- सीधी (म.प्र.) के प्रकरण  
क्रमांक- 57/अपील/2005-06 में पारित  
आदेश दिनांक- 24.11.2015 अन्तर्गत धारा-  
50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के मुख्य आधार निम्नांकित हैं:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि की प्रक्रिया एवं सहज न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत धारा- 5 म्याद अधि० के जवाब एवं लिखित तर्कों को गैर अन्दाज करते हुये अपना मनमाना एवं विधि प्रतिकूल अर्थ लगाने में विधि की भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-147-दो/16

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...SDD.....  वी.प.स. के प्रकरण क्रमांक ...27/2018/05-06... में पारित  आदेश दिनांक 24.11.15... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-  राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के  फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित  संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु  ...<del>कुतुबपुर सीधी</del>... को भेजा जाता है। उभयपक्ष  प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19...को  ...<del>कुतुबपुर सीधी</del>... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	